डिसक्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 05/2025-26 के मुख पृष्ठ, प्रस्तावना-पृष्ठ संख्या 02, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार-पृष्ठ संख्या 62 और हितधारकों के परामर्श- पृष्ठ 63 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एम.वाई.टी.पी./जी.ए.एल./कार्गो/मोपा-गोवा/सीपी-I/2022-23

परामर्श पत्र संख्या 05/2025-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा (जीओएक्स) में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 28.11.2025

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

प्रस्तावना

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के विस्तृत विश्लेषण के बाद जारी किया है, जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड के प्रभाग जीएमआर गोवा एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स द्वारा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा के संबंध में प्रस्तुत प्रथम नियत्रंण अवधि के लिए विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों से संबंधित विभिन्न धारणाएं और अनुमान भी शामिल हैं। तदनुसार, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के परामर्श पत्र संख्या 05/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी),
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा),
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in;
प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in; trilok@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	19 दिसम्बर, 2025
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	29 दिसम्बर, 2025

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी), से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 12 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

जीएमआर द्वारा मोपा, गोवा, हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारकों के परामर्श के प्रयोजनार्थ नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.4.1**	जीएएल, मोपा, गोवा संबंधी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए **"लाइट टच"** विनियामक दृष्टिकोण अपनाना।	**13**
अध्याय संख्या 3	**3.20.1**	तालिका 12 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना	**30**
	3.20.2	तालिका 15 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।	**30**
	3.20.3	तालिका 17 के अनुसार आरएबी को मानना	**30**
	3.20.4	तालिका 18 के अनुसार एफआरओआर को मानना।	**30**
	3.20.5	तालिका 19 में दिए गए विवरण के अनुसार ओ एंड एम खर्च को मानना	**30**
	3.20.6	तालिका 24 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर में इस कमी को समायोजित करना।	**30**
अध्याय 4	**4.3.1**	तालिका 25 के अनुसार मोपा, गोवा हवाईअड्डे पर जीएएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो मात्रा को मानना।	**33**
अध्याय 5	**5.8.1**	तालिका 30 के अनुसार आरएबी के पूंजीगत परिवर्धनों को मानना	**38**
	5.8.2	तालिका 32 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।	**38**
	5.8.3	तालिका 34 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।	**38**
अध्याय संख्या 6	**6.5.1**	तालिका 46 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए जीएएल के संदर्भ में प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को मानना।	**47**
अध्याय संख्या 7	**7.2.1**	अनुलग्नक-V के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एएफएस से संबंधित बीयूपी के लिए टीएसपी शुल्क को मानना।	**50**
अध्याय 8	**8.3.1**	तालिका 48 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए जीएएल के संबंध में एफआरओआर @ 12.21% मानना।	**51**
अध्याय संख्या 9	**9.3.1**	तालिका 50 के अनुसार जीएएल द्वारा मोपा, गोवा हवाईअड्डे के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।	**53**
अध्याय संख्या 10	**10.3.1**	तालिका 52 के अनुसार जीएएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	**56**
	10.3.2	अनुलग्नक-V के अनुसार जीएएल के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के टैरिफ को मानना।	**56**
अध्याय संख्या 11	**11.3.1**	तालिका 56 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल अनुमानित राजस्व (प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी के बाद) को मानना।	**61**

अध्याय 13 **<u>हितधारक से परामर्श</u>**

13.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 12 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (**संलग्नक-I, II, III, IV *और* V**) लगाए गए हैं।

13.2 संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में प्रत्युतर में हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही आदेश जारी करेगा।

13.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 7 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक ***19/12/2025*** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.

(अध्यक्ष)